



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23062020-220118  
CG-DL-E-23062020-220118

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 305]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 23, 2020/आषाढ 2, 1942

No. 305]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 23, 2020/ASHADHA 2, 1942

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जून, 2020

**सा.का.नि. 396(अ).**—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धारा 149 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) नियम, 2014 का और संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- (1) ये नियम कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) तीसरा संशोधन नियम, 2020 हैं।  
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) नियम, 2014 के नियम 6 में, उप-नियम (1) में, खंड (क) में, “ सात माह” शब्दों के स्थान पर “दस माह” शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 8/4/2018-सीएल-1, पार्ट-1]

के. वी. आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

**टिप्पणी :** मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में तारीख 31 मार्च, 2014 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 259(अ) द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इसमें दिनांक 29 अप्रैल, 2020 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 268 (अ) के माध्यम से अंतिम बार संशोधन किया गया था।

**MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd June, 2020

**G.S.R. 396(E).**—In exercise of the powers conferred by section 149 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014, namely:-

1. (1) These rules may be called the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Third Amendment Rules, 2020.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014, in rule 6, in sub-rule (1), in clause (a), for the words “seven months” the words “ten months” shall be substituted.

[F. No. 8/4/2018-CL-I- Part I]

K. V. R. MURTY, Jt. Secy.

**Note :** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 259(E), dated the 31<sup>st</sup> March, 2014 and were last amended *vide* notification number G.S.R. 268 (E), dated the 29<sup>th</sup> April, 2020.